पत्र सं0–12/वि0–5010/2016–सा0प्र0– 1582

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह, भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना–15, दिनांक– 09.02.2017

विषयः–लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को अपने कार्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी घोषित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय से संबंधित सूचना प्रदान करने हेतु किसी पदाधिकारी को लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में घोषित नहीं किये जाने के कारण लोगों को सूचना प्राप्त करने में हो रही कठिनाई को देखते हुए सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिया गया हैः–

(1) (क) अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय से संबंधित विषयों पर कोई सूचना प्राप्त/प्रदान करने के लिए संबंधित कार्यालय के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को लोक सूचना पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

(ख) संबंधित जिला के अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत निवारण)–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को जिले के सभी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकार घोषित किया जाता है ।

(2) (क) अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत निवारण)–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय से संबंधित विषयों पर कोई सूचना प्राप्त/प्रदान करने के लिए संबंधित कार्यालय के अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत निवारण)–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को लोक सूचना पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

(ख) प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव को संबंधित प्रमंडल के अधीनस्थ जिलों के अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत निवारण)–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकार घोषित किया जाता है ।

(3) (क) विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय के लिए संबंधित विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को लोक सूचना पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

(ख) संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय प्राधिकार को विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकार घोषित किया जाता है ।

विश्वासभाजन,

09/2/2017

(केशव कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–12/वि0–5010/2016–सा0प्र0– 1582 /पटना–15, दिनांक– 09.02.2017

प्रतिलिपि–मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना/सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना/विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी संबंधित विभाग, पटना/अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत निवारण)–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी समाहरणालय/अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी अनुमंडल कार्यालय/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय बेवसाइड पर डालने हेतु) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

09/2/2017

सरकार के संयुक्त सचिव